

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28(6)पंचायति/प्रशा-2/ग्राविअ/स्था-पद/2020/

4018

जयपुर, दिनांक: 27/11/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- जयपुर, उदयपुर, करौली, अलवर
सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, जालौर, बीकानेर ।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत ।


निर्देशानुसार निम्न ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश उनकी संस्थापन संबंधी सूचना से मिलान कर, नियमानुसार जारी करते हुए, विभाग को अवगत करावें :-

क्र.स	नाम सर्वश्री/ श्रीमती/सुश्री	कहाँ से	कहाँ को
1	शिवानी शर्मा	पंचायत समिति जमवारागढ, जयपुर	आदेशों की प्रतीक्षा में
2	अजमल खान	पंचायत समिति जयसमंद से पंचायत समिति कोटडा उदयपुर स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति झाडोल, उदयपुर
3	सुमन मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	ग्राम पंचायत धौलेटा, पंचायत समिति नांदौती, करौली
4	दीपक बेनीवाल	आदेशों की प्रतीक्षा में	पंचायत समिति किशनगढबास अलवर
5	महावीर प्रसाद जैन	पंचायत समिति गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर	पंचायत समिति खण्डार, सवाई माधोपुर
6	जामता राम	पंचायत समिति सायला, जालौर	पंचायत समिति आहोर, जालौर
7	रामप्रसाद मीणा	पंचायत समिति सरनाउ, जालौर	पंचायत समिति सायला, जालौर
8	लसाराम प्रजापत	पंचायत समिति जालौर, जालौर	पंचायत समिति आहोर, जालौर
9	सुरेश कुमार गायरी	ग्राम पंचायत पिपलिया, पंचायत समिति धरियावद, प्रतापगढ	ग्राम पंचायत सरीपिपली, पंचायत समिति धमोत्तर, प्रतापगढ
10	मदन लाल मीणा	ग्राम पंचायत सरीपिपली, पंचायत समिति धमोत्तर, प्रतापगढ	ग्राम पंचायत पिपलिया, पंचायत समिति धरियावद, प्रतापगढ
11	अनिल स्वामी	ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू, जयपुर	ग्राम पंचायत अनोपपुरा, पंचायत समिति जालसू, जयपुर
12	संजय शर्मा	ग्राम पंचायत अनोपपुरा, पंचायत समिति जालसू, जयपुर	ग्राम पंचायत राधाकिशनपुरा, पंचायत समिति जालसू, जयपुर
13	राकेश कुमार	पंचायत समिति पांचू, बीकानेर	पंचायत समिति लूणकरणसर, बीकानेर
14	विवेक शर्मा	ग्राम पंचायत अजमेरीपुरा, पंचायत समिति कोटखावदा, जयपुर	आदेशों की प्रतीक्षा में ।

नोट :-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।

3. यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।
5. यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निलम्बित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।


(राजेश वर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग ।
- 2-विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग ।
- 3-निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, जयपुर ।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर ।
- 5-निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 6-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
- 5-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 6-आदेश पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)